पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी प्रतिवादीगण को समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजने का समय और मांगना चाहते हैं लिहाजा समय दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 29/4/22 को पेश हो

28/ 29/3/22

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

29/4/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 13/6/22 को पेश हो।

13/6/22 पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है। अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 26/7/22 को पेश हो।

26/07/22 पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण के समक्ष रजि० डाक द्वारा भेजकर रसीदें पेश नहीं की है, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। वकील वादी द्वारा उक्त अनवाद प्रकरण दिनांक 13/06/2017 को न्यायालय में दर्ज करवाया गया था। पांच वर्षों के दिनांक का समय लिये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी पूर्ण नहीं करायी है इससे यह प्रतीत होता है कि [illegible] वादी के अधिवक्ता की उक्त अनवाद प्रकरण में कोई रुचि नहीं है [illegible] में उक्त अनवाद प्रकरण आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत अदम तामील में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,
गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

वादी :—

हड़मतसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 45 वर्ष कौम राजपूत साकिन सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. महेन्द्रकुमार पुत्र रावतमल उम्र 40 वर्ष कौम जैन साकिन गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
2. नरपतसिंह पुत्र मगसिंह उम्र 37 वर्ष कौम राजपूत साकिन सीलू तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ~~धोरीमन्ना~~ गुड़ामालानी।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92क, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते पाने स्थाई निषेधाज्ञा, आवश्यक राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती

महोदयजी,

वादी का वाद पत्र निम्न प्रकार है :—

1. यह हैं कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा सीलू पटवार क्षैत्र गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 33/6 रकबा 20—00 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसे वाद के आगामी पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि पर वादी का वक्त खरीद 30.6.1989 से कब्जा— काश्त [illegible] दी एवं आंशिक नक्शा की प्रतिलिपि संलग्न [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested

2. यह हैं कि उक्त [illegible] की खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का कब्जा काश्त लग[illegible]र एवं निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादी का वादग्रस्त खेत उपजाऊ मिट्टी डालकर समतल किया हुआ है, रहवासीय ढाणी, टांका, पशुबाड़ा, चारबाड़ा आदि बने हुए है

हड़मतसिंह

वादग्रस्त खेत में वादी का वक्त खरीद के बाद से आज तक लगातार बहैसियत खातेदार काश्त करते आ रहे है और इसकी कुदरती पैदावार भी हर साल लेता आ रहा है। वादी के वादग्रस्त खेत के चारों तरफ कदीमी /पुरानी माठें स्थित है जिस पर पेड़–पौधे वर्षो पुराने लगे हुऐ है।

3. यह है कि मूल खसरा नम्बर 33 में से रकबा 20–00 बीघा भूमि देरामा पुत्र भीखा जाति वजीर निवासी गुड़ामालानी को कब्जा–काश्त अनुसार आंवटन हुई जिस पर देरामा का आंवटन के पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है, आंवटन होने से देरामा वादग्रस्त आराजी का बहैसियत खातेदार हो गया। उसके बाद देरामा द्वारा दिनांक 30.6.1989 को वादी को वादग्रस्त आराजी का बेचान कर कब्जा खरीददार वादी का करवा दिया तब से लगाकर आज तक कब्जा व काश्त वादी का बिना रोक टोक निर्बाध रूप से खुल्लम–खुला, शान्तिपूर्वक, निर्विवाद चला आ रहा हैं, वादी के कब्जा काश्त का रकबा 11–15 बीघा की भूमि की तरमीम गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 01 के खसरा नम्बर 33/7 में कर दी हैं, जिस पर खसरा नम्बर 33/7 के खातेदार का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा है, न ही किसी तरह प्रतिवादी संख्या 01 का हक रहा हैं, न ही प्रतिवादी संख्या 01 के बेचानकर्त्ता का कब्जा व हक रहा हैं।

वादी व मूल आंवटी देरामा हमेशा यही समझते आए है कि कब्जा–काश्त के स्थान पर ही राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने लठ्ठा नक्शा में तरमीम की है ।

4. यह है कि ग्राम सीलू के मूल खसरा नम्बर 33 सरहद मौजा आलपुरा सीमा पर आया हुआ हैं आलपुरा व गु[illegible] की सीमा के बीच बैसी जमीन अर्थात गेप है, दोनों ग्रामों [illegible] के मुस्तकिल बिन्दु से सीमाज्ञान करने से कुछ रकबा बैसी होता [illegible] चूंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने भी खसरा नम्बर 33/7 रकबा 20–00 बीघा की भूमि आवंटी से क्रय की हैं, बेचानकर्त्ता ने वक्त बेचान से प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा करा दिया था, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं, आंवटी खसरा नम्बर 33/7 सरहद मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:11:36 IST
Reason: SelfAttested